न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टहला)

वाद संख्या :– 03/02/2017

1. मांगू सिंह पुत्र मेघसिंह राजपूत निवासी कानियावास तहसील राजगढ – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ – अप्रार्थी

धारा 136 एल.आर. एक्ट

दिनांक 27.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टहला पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 15 बिस्वा, 2 रकबा 12 बिस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 27 रकबा 9 बिस्वा, 28 रकबा 5 बिस्वा, 29 रकबा 16 बिस्वा, 30 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम कानियावास तहसील राजगढ में स्थित है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 22/0.54, 29/0.02, 30/0.41, 31/0.09, 32/0.10, 33/0.23, 34/0.03, 35/0.21, 36/0.12, 37/0.40 वाके ग्राम कानियावास तहसील राजगढ में स्थित है। उक्त आराजी बाबत् प्रार्थी के पिता तथा ताऊ द्वारा एक वाद दुरस्ती का मतत्या पिता बिरदी के खिलाफ पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 10.08.1966 को हुआ जिसमें उक्त आराजी के खाना खातेदारी में मस्त्या पुत्र बिरदी का 1/3 हिस्सा हजफ कर उसका खातेदार प्रार्थी का पिता व ताऊ को घोषित किया गया और उनका हिस्सा 2/3 हो गया था। निर्णय की पालना बाबत् तहसीलदार राजगढ को आदेश जारी हो गये और मतस्या 1/3 हिस्सा हजफ कर प्रार्थी के पिता व ताऊ के नाम दर्ज कर दिया गया। परन्तु प्रार्थी के पिता व ताऊ का जो 1/3 हिस्सा पूर्व से था उसे सम्मिलित नही किया जबकि 2/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। बन्दोबस्त सम्वत 2046 में हुआ। प्रार्थी के पिता व ताऊ की मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तकरण उनके वारिसान के नाम दर्ज कर दिया परन्तु मस्त्या का 1/3 हिस्सा आज भी रिकॉर्ड से प्रार्थी के पिता व ताऊ के नाम दर्ज नहीं किया है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर उक्त हाल आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में रामसिंह, सुल्तानसिंह पिता भंवरसिंह, कमलबाई, प्रतापबाई, भोलीबाई पुत्रियान भंवरसिंह, रणजीत सिंह नवीरा भंवरसिंह को समान भाग 1/3 हिस्सा व मांगूसिंह पुत्र मेघसिंह, रतनबाई, भूरबाई, बीनाबाई पुत्रियान मेघसिंह को समान भाग 1/3 हिस्सा का खातेदार दर्ज किया जावे तथा शेष 1/3 हिस्सा बदस्तूर रखा जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी उपतहसीलदार टहला व पटवारी हल्का द्वारा कैम्प के दौरान प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी सम्वत 2020 बन्दोबस्त जमाबन्दी के मिसल में लगे नोट के मुताबिक मस्त्या पुत्र बिरदी 1/3 के स्थान पर भंवरसिंह व मेघसिंह के नाम हिस्से का अमल कराना चाहते हैं जिसके मुताबिक सुल्तानसिंह वगैरा 1/3 व मांगूसिंह वगैरा 1/3 दर्ज होना है परन्तु उमराव सिंह पुत्र भूरासिंह हिस्सा 1/6, सुन्दरसिंह पुत्र भूरासिंह हिस्सा 1/6, खपसिंह दत्तक पुत्र हरनाथसिंह हिस्सा 1/3 के हिस्से प्रभावित होते हैं तथा जिनके हिस्से प्रभावित होते हैं उन खातेदारों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिनको सुनना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से पुष्टि में प्रस्तुत फोटो प्रति नकल निर्णय दिनांक 10.08.1966 मिसल बन्दोबस्त 2020, नकल जमाबन्दी सम्वत 2021, 2029, 2030, 2059, 2069 इन्तकाल संख्या 21, मिलान क्षेत्रफल 2041 का भी अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकॉर्ड से व जांच रिपोर्ट उपतहसीलदार टहला से प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है क्योंकि प्रार्थी द्वारा आराजी विवादित से प्रभावित होने वाले खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि न्याय दृष्टि से उनको सुनना आवश्यक है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट आराजी विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 15 बिस्वा, 2 रकबा 12 बिस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 27 रकबा 9 बिस्वा, 28 रकबा 5 बिस्वा, 29 रकबा 16 बिस्वा, 30 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 22/0.54, 29/0.02, 30/0.41, 31/0.09, 32/0.10, 33/0.23, 34/0.03, 35/0.21, 36/0.12, 37/0.40 वाके ग्राम कानियावास तहसील राजगढ साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 कैम्प कोर्ट टहला पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टहला)